न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2018 **दायर दिनांकः 12/02/2018**

उनवान

1. रामदुलारी आयु 25 वर्ष पत्नि पुखराज जाति धाकड़ निवासी डाबड़िया पोस्ट मूण्डला बिसौती तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 26/08/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छजावा में खाता संख्या 33 के ख० न० 13 का रकबा 0.11 है०, ख०न० 17 का रकबा 1.39 है०, ख०न० 19/1205 का रकबा 0.05 है०, ख०न० 19/1206 का रकबा 0.06 है०, ख०न० 20 का रकबा 1.90 है०, ख०न० 28/1203 का रकबा 0.14 है० का कुल किता 6 रकबा 2.94 है० अन्य सहखातेदारान के साथ प्रार्थीया के दर्ज खाता है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। सहमति बंटवारे के मुताबिक ख0नं0 20 का रकबा 1.19 है0 प्रार्थीया के हिस्से में आई है। जिस पर आने—जाने का रास्ता ख0नं0 21 का रकबा 1.34 है0 किस्म चारागाह में से होकर ए से बी अंको से प्रदर्शित [illegible]जरी नक्शे में होकर है। उक्त रास्ते का उपयोग—उपभोग प्रार्थीया गत 10 वर्ष से शान्तिपूर्वक तरीके से करती चली आ रही है परन्तु गांव के कुछ लोगों ने उक्त ख0नं0 21 की चारागाह [illegible] पर कब्जा करके [illegible] बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीया के खेत पर कृषि यंत्र एवं आने जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। खाता संख्या 394 की नकल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:28 IST
Reason: SelfAttested

स्वामित्व की आराजी पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर उनके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना संभव नही है। अगर असामाजिक तत्व अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीया अपने स्वामित्व की आराजी पर आने–जाने से वंचित हो जावेगी। जिससे प्रार्थीया समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेगी, सिंचाई नही कर सकेगी तथा आराजी पडत रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीया को अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीया को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं है तथा प्रार्थी को अनेकानेक वाद–विवादों में उलझना पडेगा। अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती हैं कि असामाजिक तत्व प्रार्थीया को आराजी पर आने जाने हेतु ख0 नं0 21 का रकबा 1.34 है0 की मेढ़ पर ए से बी अंको से प्रदर्शित स्थाई रास्ता 3 मीटर चौडाई मं रखे तथा प्रार्थीया को उसके खेत पर पूर्व की भांति आने जाने का रास्ता ए से बी के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले। प्रार्थीया रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। विवादाग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल छजावा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को ग्राम एवं माल छजावा में खाता संख्या 33 के ख०न० 13 का रकबा 0.11 है०, ख०न० 17 का रकबा 1.39 है०, ख०न० 19/1205 का रकबा 0.05 है०, ख०न० 19/1206 का रकबा 0.06 है०, ख०न० 20 का रकबा 1.19 है०, ख०न० 28/1203 का रकबा 0.14 है० कुल किता 6 रकबा 2.94 है० में से ख0नं0 20 रकबा 1.19 है पर आने–जाने का स्थाई रास्ता 3 मीटर चौडा रास्ता ख0नं0 21 रकबा 1.34 है0 की मेढ़ पर होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिलाया जावे। प्रार्थीया रास्ते की मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने के लिए तैयार हैं। रास्ते को संलग्न नक्शे में 'ए' से 'बी' मार्क से प्रदर्शित किया गया है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज करने के आदेश तहसीलदार अटरू को प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:28 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई तथा प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार अटरू से रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट ली गई।

मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि प्रकरण में ख0 न0 20 का मौका देखा गया मुताबिक रेकार्ड ख0न0 20 रकबा 1.19 है पर प्रार्थीया सडक एन.एच 90 से ख0नं0 21 चारागाह से अपने खेत पर पहुचती है। प्रार्थीया के लिए यही रास्ता निकटतक, सुविधाजनक है। जिसकी लम्बाई 48 मीटर तथा चौडाई 3 मीटर है। बिन्दू ए से बी तक रास्ते का क्षैत्रफल 192 वर्ग मीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ख0नं0 21 की चारागाह में से है। अभिभाषक प्रार्थीया की एकतरफा बहस सुनी वकील प्रार्थीया द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया को उसके स्वामित्व की आराजी ख0नं0 20 का रकबा 1.19 है0 पर आने –जाने का रास्ता अप्रार्थी के ख0नं0 21 किस्म चारागाह में से 3 मीटर चौडाई का रास्ता दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थी 3 मीटर चौडे रास्ते की एवज में मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने के लिए तैयार हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया रामदुलारी पत्नि पुखराज अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम छजावा की खाता संख्या 33 किता 6 रकबा 2.94 है0 के ख0न0 20 पर आने जाने हेतु ख0न0 21 रकबा 1.34 है0 के मध्य से होकर आता जाता है, जिसमे से 3 मीटर चौडा रास्ता लेना चाहती है। न्यायहित में प्रार्थीया को अपने स्वामित्व की आराजी ख0नं0 20 का रकबा 1.19 है0 पर आने–जाने का रास्ता दिया जाना उचित है।

–::**क्रियात्मक आदेश** ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के स्वामित्व की आराजी ग्राम छजावा के ख0नं0 20 का रकबा 1.19 है0 पर आने –जाने हेतु ग्राम छजावा की ख0न0 21 रकबा 1.34 है0 के मध्य से नक्शे में लाल स्याही से अंकन अनुसार आने जाने हेतु 3 मीटर चौड़ा 64 मीटर लम्बा रास्ता यानि 192 वर्ग मीटर अर्थात 0.02 है0 भूमि नियमानुसार DLC की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्त रास्ते को गै0मु0 रास्ता (किस्म चारागाह) रकबा 0.02 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:56:28 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां